



தொழிலாளர் அரக் காப்பீட்டுக் கழகம்

(தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம், இந்திய அரசு)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)



மண்டல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034.

143, स्टर्लिंग रोड, नुगम्बाक्कम, चेन्नै-600 034.

143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600 034.

Phone: 044-28306300 (100 Lines)

E-mail: rd-tamilnadu@esic.gov.in

Website: www.esic.gov.in/www.rotamilnadu.esic.gov.in

ध्यान दें- कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विलुप्पुरम और

कल्लाकुरिची जिलों के नियोजक

ATTENTION – EMPLOYERS OF KANCHIPURAM, TIRUPATTUR,

TIRUVANNAMALAI, VILUPPURAM AND KALLAKURICHI DISTRICTS

1 अप्रैल 2023 से तमिलनाडु राज्य के चार आंशिक रूप से अधिसूचित जिले नामतः कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विलुप्पुरम एवं एक गैर अधिसूचित जिले नामतः कल्लाकुरिची जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कार्यान्वित किया गया है। The ESI Act has been implemented from **1st April 2023** in the entire area of four partially notified districts i.e. Kanchipuram, Tirupattur, Tiruvannamalai, Viluppuram & one non-notified district i.e. Kallakurichi of Tamil Nadu State.

तदनुसार, इन जिलों में स्थित शिक्षण संस्थाएं तथा अस्पतालों सहित सभी कारखाना एवं स्थापनाएँ, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, 10 दिनों के अंतर्गत क.रा.बी निगम पोर्टल (www.esic.gov.in) द्वारा क.रा.बी अधिनियम के अधीन पंजीकृत करा लेना चाहिए। सभी नियोजक रु 21000/- या उससे कम मासिक वेतन पाने वाले व्याप्ति योग्य कर्मचारियों के संबंध में ऑनलाईन प्रस्तुत करके पंजीकरण कराना चाहिए। Accordingly, all factories and establishments, including educational institutions and hospitals situated in these districts, employing 10 or more persons, should register themselves under the ESI Act, within 10 days through ESIC portal (www.esic.gov.in). Further, such Employers should register their coverable employees drawing wages of Rs. 21,000/- or below a month, through online.

कांचीपुरम, तिरुपत्तूर, तिरुवन्नामलाई, विलुप्पुरम और कल्लाकुरिची जिलों के संबंध में अन्य जानकारी / सहायता के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, चेन्नै (फोन: 044-28306300 । ई-मेल: rd-tamilnadu@esic.gov.in) पर संपर्क करें। For further information / assistance, in respect of **Kanchipuram, Tirupathur, Tiruvannamalai, Viluppuram and Kallakurichi Districts**, please contact Regional Office, ESI Corporation, Chennai (Ph.No: 044-28306300 & Email: rd-tamilnadu@esic.gov.in).

sd/-

दिनांक Date- 27.03.2023

चेन्नै Chennai

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)

Regional Director (In-charge)